भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 1442
उत्तर दिनांक 12/02/2026 को दिया गया

भारत में बदलाव के लिए परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास (शांति) अधिनियम का क्रियान्वयन

1442. श्री हर्ष वर्धन श्रृंगला

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) शांति अधिनियम के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या नियमों के निर्धारण, प्राधिकरणों की स्थापना और मुख्य प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए समय-सीमा अधिसूचित की गई है;

(ख) प्रभावी प्रवर्तन जवाबदेही और अंतर-संस्थागत समन्वय सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से नियम, दिशा-निर्देश और संस्थागत तंत्र प्रस्तावित किए गए हैं;

(ग) उक्त अधिनियम को भारत की नागरिक परमाणु सहयोग की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप संरेखित करने, साथ ही कानूनी निश्चितता और निवेशक का विश्वास बढ़ाने के लिए कौन-कौन से उपाय किए गए हैं; और

(घ) यह अधिनियम सुरक्षा, संरक्षा और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्कृष्ट पद्धतियों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किस प्रकार भारत के शांतिपूर्ण परमाणु उपयोग के लिए रणनीतिक कानूनी ढांचे को सुदृढ़ करने की अपेक्षा रखता है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) शांति अधिनियम को दिनांक 20 दिसंबर 2025 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है, जिसे राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। नहीं, नियमों, विनियमों, नीतियों के निर्धारण और अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए अभी तक सरकार द्वारा कोई समय-सीमा अधिसूचित नहीं की गई है।

(ख) शांति अधिनियम 2025 में अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नियम, विनियम और नीतियों का मसौदा तैयार करने का प्रावधान है। शांति अधिनियम में केंद्र सरकार को अपने अधिकार का प्रयोग करने या अपने कार्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए निदेशालय, स्कंध और प्रभाग स्थापित करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है, जिसमें विकिरण आपातकाल के दौरान संरक्षा, सुरक्षा, संरक्षोपायों, अंतर-एजेंसी समन्वय को प्रभावी ढंग से लागू करना और लाइसेंसधारी या सुरक्षा प्राधिकरण धारक पर जवाबदेही तय करना शामिल है।

(ग) शांति अधिनियम में राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नाभिकीय भागीदारी को बढ़ाने हेतु कानूनी ढांचे में महत्वपूर्ण नागरिक नाभिकीय सहयोग पहलुओं को इस प्रकार समायोजित किया गया है कि संरक्षा, सुरक्षा, संरक्षोपायों, नाभिकीय क्षति के लिए नागरिक दायित्व के क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पूर्णतया अनुपालन किया जा सके।

(घ) शांति अधिनियम नाभिकीय विद्‌युत उत्पादन, स्वास्थ्य देखभाल, भोजन, पानी, कृषि, अनुसंधान, उद्योग, पर्यावरण में अनुप्रयोग, नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवोन्मेष के माध्यम से भारत के लोगों के कल्याण के लिए परमाणु ऊर्जा और आयनकारी विकिरण के प्रचार, विकास और उपयोग के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है और इसके संरक्षित और सुरक्षित उपयोग के लिए मजबूत नियामक प्रणाली प्रदान करता है।

*****